श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : सच्चाई यह है ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रमोद महाजन : दूसरा ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : महोदय,यह तो अजीब स्थिति है ...**(व्यवधान)**... प्रमोद जी, प्रधान मंत्री जी की ओर से बोल रहे हैं। कलराज जी को अभी भी विश्वास नही है,ये जो बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : ये जो कहते हैं वह करते नहीं हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : यह मैंने पहली बार देखा है ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रमोद महाजन : नीलोत्पल जी ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : बैठिए सरला जी। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रमोद महाजन : मैं प्रधान मंत्री जी की ओर से बोल रहा हूं, इस पर जब तक आपका विश्वास है तब तक बाकी चिंता छोड़ दीजिए। आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया है उस पर भी मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि 1993 में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था, भारत सरकार उसके विश्वस्त के रूप में काम कर रही है और यह जमीन किसी को भी देने का, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आज सरकार के सामने नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, Special Mentions..*(Interruptions)* क्या है?...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): यह क्या है, जब चाहें खड़े हो जाते हैं ..**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : मार्च, 2002 से पहले देने का कोई प्रस्ताव है? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रमोद महाजन : सर, आज एक प्रेजेंट मुद्दा है...**(व्यवधान)**...

कल के लिए, अब अगर मार्च, 2002 से पहले देने का नहीं है तो मैं उम्र भर के लिए किसी को बांध नहीं सकता ...**(व्यवधान)**...जब मैं कह रहा हूं, ...**(व्यवधान)**...सर, मार्च तक कोई नहीं है...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : कोई नहीं है इस प्रकार का...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): सिंहल जी ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : बीच में खड़े हो जाते हैं...**(व्यवधान)**...जो कहना है कह देते हैं...**(व्यवधान)**...

SPECIAL MENTIONS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, I would like to suggest something to the House. Now, there are 32 or 33 Special Mentions. If the House agrees, then, the names of the hon. Members, who have given notice of the Special

Mentions, can be called, and they can just read out the subject. The contents of their Special Mentions are, anyway, on record and it can be taken to have been placed on the Table of the House.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) :इस मामले में सदन की क्या राय है?

SOME HON. MEMBERS: Agreed.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है, जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाएंगे वे शीर्षक बोलेंगे जिस संबंध में उनको स्पेशल मेंशन की अनुमति प्रदान की गई है। श्री दारा सिंह चौहान, केवल शीर्षक बोलिए और सदन के पटल पर रख दीजिए।

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : मैं पढ़ूंगा नहीं महोदय, केवल दो मिनट लगेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): पूरे सदन की राय हो गई है । अब आप अपना शीर्षक पढ़ दें।

श्री दारा सिंह चौहान : सरकार की गलत नीति के कारण, उपसभाध्यक्ष महोदय,....

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): दारा सिंह जी, आप बैठिए।

Now, the Special Mentions are: Shri Dara Singh Chauhan -- Weavers on the verge of starvation due to wrong policies of Government; Shrimati Saroj Dubey -- Development of places of historical significance in Bihar; Shri Vijay Singh Yadav -- Development of Sanskrit; Shri S. Niraikulathan -- Release of water in Cauvery; Prof. Ram Deo Bhandary -- Drought and flood assistance for Bihar; Shrimati Vanga Geetha -- Concurrence of Government of India to the proposed State amendments; Shri Ravi Shankar Prasad -- Killing of Dalits in Bihar; Shrimati S. G. Indira -- Investment in multi-level marketing; Dr. Y. Radhakrishna Murty -- Apprehension of poultry and dairy farmers; Shri K. Kalavenkata Rao -- Regional Coir Centres in Andhra Pradesh; Shri C. O. Poulose -- Request for amending Payment of Bonus Act; Prof. M. Sankaralingam -- Free flow of fake currency; Prof. M. M. Agarwal -- Need to take effective measures for promotion and development of tourism infrastructure in the country; Shri Drupad Borgohain -- Bifurcation of Bokajan Cement Factory from the Cement Corporation of India; Shri R. S. Gavai -- Not present; Dr. Dasari Narayana Rao -- Not present; Shri Kartar Singh Duggal -- Guru Nanak's birthday; Shri Santosh Bagrodia -- Not present; Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy -- Not present; Shri Solipeta Ramachandra Reddy -- Construction of bridge over National Highways; Prof. (Shrimati) Bharati Ray -- Decline in research and patenting in India; Shri Rama Shanker Kaushik -- Situation arising due to Multinational companies in the country taking agricultural land

from the farmers on contract basis; Shri Ramachandra Khuntia -- Not present; Shri Balwant Singh Ramoowalia -- Not present; Shrimati Jayaprada Nahata -- Female face of AIDS; Shri W. Angou Singh -- Opening of regional office of the Ministry of Road Transport and Highways for North-Eastern States at Imphal; Shri Rumandla Ramachandraiah -- Restoration of allocation under Poverty Alleviation Programme of Swaranajayanti Gram Swarozgar Yojna in Andhra Pradesh; Shri Eduardo Faleiro -- Not present; Dr. M. N. Das -- Fifty years' demand for a 40 kms. Road from Jaleswar to Chandaneswar; Shri Khagen Das -- Growth in rubber plantation and industries in Tripura; Shri Gandhi Azad -- Reservation in Babasaheb Ambedkar University; Shri Rajeev Shukla -- Review of Government's decision not to send cricket team to Pakistan to participate in Asian Test Championship.

GOVERNMENT BILLS

THE TWO-MEMBER CONSTITUENCIES (ABOLITION) AND OTHER LAWS REPEAL BILL, 2001

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है कि लता मंगेशकर जी बहुत दिनों के बाद हाउस में आई हैं । उनसे एक आग्रह करना है कि वे हाउस में और आएं और अपनी उपस्थिति से हमें लाभान्वित करें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ये आपकी शुभकामनाएं हैं । वैसे सामान्यत: ऐसी बात बोली नहीं जाती लेकिन इससे आपकी सद्भावना इंगित होती है ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : लता जी के बारे में बोला नहीं जाता, गाया जाता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We shall now take up the Two-Member Constituencies (Abolition) and Other Laws Repeal Bill, 2001.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHENNAMANENI VIDYA SAGAR RAO): Sir, I move:

> "That the Bill to repeal the Two-Member Constituencies (Abolition) Act, 1961 and certain other enactments, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."